(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2018 विविध राजस्व प्रकरण

विविध– 6400/2018/शिवपुरी/भू.रा.

श्री प्रमोद गोंधकर आदि द्वारा आज दि. 29-11-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-12-18 नियत।

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 29/11/18

1. दक्खो बेवा श्री धनीराम जाटव
2. बलवीर पुत्र धनीराम जाटव
3. दयाचन्द पुत्र धनीराम जाटव
4. मुन्नी पुत्री धनीराम जाटव
5. रेखा पुत्री धनीराम जाटव
6. मातादीन पुत्र रतन लाल जाटव
7. पुरूषोत्तम पुत्री रतन लाल जाटव
8. रामकली पुत्री रतन लाल जाटव
9. सोमवती पुत्री रतन लाल जाटव
10. रतीराम पुत्र पन्नू जाटव

    निवासीगण ग्राम फतेहपुर तहसील व जिला शिवपुरी ———————— आवेदकगण

(मूल प्रकरण में अनावेदक)

बनाम

1. श्रीमती मिथेलश अष्ठाना पत्नी स्व0 श्री सुशील बहादुर अष्ठाना निवासी देवीपुरम कॉलोनी सरकूलर रोड शिवपुरी जिला शिवपुरी म0प्र0 ———————— असल अनावेदक

(मूल प्रकरण में अवेदक)

2. हरिमोहन पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम वडोदी सडक जिला शिवपुरी म0प्र0
3. मंगल सिंह पुत्र श्री हरि सिंह यादव
4. रघुवर सिंह पुत्र श्री हरि सिंह यादव
5. बिन्नो बाई पुत्री हरि सिंह यादव
6. सिरदार सिंह पुत्र श्री फूल सिंह यादव
7. धीर सिंह पुत्र श्री फूल सिंह यादव
8. नारान्दे पत्नी फूल सिंह यादव
9. मोतीलाल पुत्र चिंटू यादव
10. निवासीगण ग्राम रातौर तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0
11. सुरेश चन्द पुत्र ज्ञानी चन्द जैन, निवासी महल कॉलोनी शिवपुरी म0प्र0 ——— अनावेदकगण

(मूल प्रकरण में एक पक्षीय)

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35(3) एवं धारा 32 भू–राजस्व संहिता

श्रीमान जी

सेवा में आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:–

1. यह कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका प्रकरण कमांक 3315/2017 पुनरीक्षण श्रीमती मिथलेश अष्ठाना बनाम हरिमोहन आदि पर संचालित होकर विचाराधीन उक्त प्रकरण में दिनांक 29–10–2018 को न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया।

2. यह कि आवेदकगण को प्रकरण में नियम तिथि संसूचित नहीं हो पाने के कारण आवेदकगण तथा उनके अभिभाषक उपस्थित होने में असमर्थ रहे इस कारण उक्त प्रकरण में आवेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई आवेदकगण उक्त प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

3. यह कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 20/15–16 अपील दक्खो आदि बनाम हरिमोहन आदि में पारित आदेश दिनांक 16–08–2016 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी के प्रकरण कमांक 20/12–13/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 16–05–2013 को निरस्त कर पुनः प्रत्यावर्तित किया गया।

4. यह कि उक्त प्रकरणों में अनावेदक कमांक 1 पक्षकार नहीं थी इस कारण अनावेदक कमांक 1 को उक्त आदेशों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का भी अधिकार नहीं था। इसके उपरान्त भी अनावेदक कमांक 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपरआयुक्त संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 783/15–16 अपील श्रीमती मिथलेश अष्ठाना बनाम हरिमोहन आदि संचालित हुई। जो अधीनस्थ अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 30–08–2017 को निरस्त की गई।

5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 20/12–13/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 16–05–2013 को इस आधार पर निरस्त किया कि बटवारे के आवेदन पत्र हल्केराम रावत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था प्रकरण के प्रचलन के द्वरान हल्केराम के फोत हो जाने से वसीयत के आधार पर हितबद्ध पक्षकार होने से हरिमोहन का नाम रिकार्ड पर आया तथा यह भी उल्लेख किया कि हल्केराम द्वारा दस नम्बरों में से हिस्सा 100/53 की बसीयत की थी। फर्द बृटवारा बनाते समय सर्वे कमांक 11 रकवा 1.16 हैक्टर दे दिया गया। जबकि सर्वे कमांक 11 में रेस्पोन्डेन्ट में का हिस्सा 100/53 बनता है। भूमि की फर्द सूची बनाते समय भूमि की भौतिक स्थिति और स्थल का भी ध्यान नहीं रखा गया है। फर्द बटवारा के साथ नक्शा संलग्न नहीं है। जिससे भूमि की स्थिति जानी जा सकें। फर्द बटवारा का प्रकाशन भी नहीं कराया गया। सभी सह खातेदारों की

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक विविध 6400 / 2018 / शिवपुरी / भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
20–12–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रमोद गोहदकर उपस्थित होकर आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) एवं धारा 32 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2–आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि निगरानी प्रकरण कमांक एक / निगरानी / शिवपुरी / भूरा / 2017 / 3315 में दिनांक 29.10.18 को पारित आदेश कर दिया गया है जिसमें पक्षकार 1 लगायत 10 उपस्थित नहीं हुये थे और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये, जिसके कारण उन्हें एक पक्षीय कर आदेश पारित किया गया है। अतः पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। 3–आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदकगण की अनुपस्थिति में प्रकरण को खारिज नहीं किया गया है, बल्कि गुण दोष पर निर्णय कर प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है, जिसमें उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्राप्त है। 4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) एवं धारा 32 भू–राजस्व संहिता का सारहीन होने से अमान्य किया जाता है। सदस्य	